न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 115/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. कानाराम पुत्र हिमताराम जाट निवासी– चुतराणियों की ढाणी,(माडपुरा बरवाला) तहसील बायतू जिला बालोतरा।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतू जिला बालोतरा वगैराह कुल 60 रेस्पोडेन्टस। 2. सताराम पुत्र लाबूराम 3. कंवराराम पुत्र कुम्भाराम 4. उदी पत्नी कुम्भाराम 5. उदाराम पुत्र मेहाराम 6. गंगाराम पुत्र पुरखाराम 7. खेतू पत्नी वीरमाराम 8. भगवानाराम पुत्र वीरमाराम नाबालिग जरिये माता खेतू पत्नी वीरमाराम, निवासीगण– माडपुरा बरवाला तहसील बायतू जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, बायतू के द्वारा प्रकरण संख्या 223/ 2017 अनवान सरकार बनाम कानी बालराम वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2018 के विरूद्ध पेश की गई।

उपस्थितिः–

1. श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पे0 संख्या 1 की ओर से।
3. श्री मोहनलाल खत्री, अधिवक्ता रेस्पो.सं. 2 ता 8 एक की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद तामीली/सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 24 जून 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बायतू के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राज0 भू– राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर ग्राम सियागों की ढाणी उपरोक्त ग्राम सियागों की ढाणी के बिभिन्न खसरान 688, 768/690, 677, 674, 712, 779/712, 738/671, 747/713 तथा व ग्राम चुतराणियों की ढाणी (माडपुरा बरवाला) के ख0सं0

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

573/475, 572/475, 623/469, 622/469, 622, 641/466, 639/466 , 464, 570/464, 463, 472 के रकबा भूमि में से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि के रकबा भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने हेतु निवेदन किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी, बायतू के द्वारा उक्त प्रकरण को दर्ज कर तहसीलदार बायूत के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उल्लेखित खसरान भूमि के रकबा भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2018 पारित किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.07.2020 को पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन कार्यवाही का कोई नोटिस अपीलार्थी को नहीं दिया गया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं हुई। पहली बार जानकारी प्रत्यर्थी कंवराराम वगैराह मौके पर रास्ता खोलने का उपखण्ड अधिकारी बायतू के आदेश होने का गांव में कहने लगे तब अपीलान्ट द्वारा जानकारी हेतु कार्यालय में जाकर आवेदन कर नकले दिनांक 14.9.18 को प्राप्त की तब अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 25.9.2018 को रिव्यू प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसको विद्वान अधिवक्ता न्यायालय ने दर्ज करते हुए दिनांक 14.7.2020 को निर्णय दे दिया तब उक्त आदेशों की नकलें इत्यादि लेकर दिनांक 27.7.2020 को न्यायालय में यह अपील पेश की गई जिसे अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णय दिया जावें। रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता के द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी के उक्त मियाद प्रार्थना पत्र का विरोध प्रकट करते हुए अस्वीकार करने का अनुरोध किया। प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए मियाद प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि अपीलधीन आदेश में उल्लेखित खसरान भूमि के साथ–साथ अपीलान्ट की भूमि ख0सं0 570/464 में दर्शाई गई है। उक्त खसरानं बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिसके पश्चात पत्रावली दिनांक 17.9.17 को रखी गई तथा दिनांक 15.11.17 को भूमि के खातेदारान द्वारा व ग्रामवासियों उक्त विवादित रास्ता मौके पर चलने के तथ्य को सरासर गलत होना मानकर आपत्तियां पेश की परन्तु

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आपत्तियों पर कोई जॉच नहीं की तथा प्रकरण में आगे की तारीखें भी बताई और तारीख कांट–छांट कर मौका देखने हेतु रखी गई, मौके पर कभी कोई अधिकारी नहीं गये और ना ही मोका फर्द उनके द्वारा बनाकर पत्रावली पर ली गई। इसके बाद बिना किसी प्रकार की जॉच किये साक्ष्य सबूत लिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2018 के द्वारा तहसीलदार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थी की निजी खातेदारी भूमि में से भूमि को रास्ते में बदलने का गैर कूननी आदेश पारित कर दिया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट को आदेश पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया। अपीलार्थी की भूमि ख0सं0 570/464 पर स्थाई रास्ता नहीं बताया है फिर भी बिना किसी आधार के अपीलार्थी की भूमि में से रास्ता दर्ज करने का आदेश कर विधिक त्रुटि की है, इस बाबत उनकी ओर से पेश आपत्तियों का रिव्यू नहीं किया और न ही न्यायसंगत कारण दिये रिव्यू प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अपीलार्थी के खातेदारी के ख0सं0 570/464 की भूमि में पटवारी हल्का के द्वारा मौके पर कोई रास्ता नहीं बताया फिर भी बिना आधार के ही उसकी भूमि को शामिल कर लिया। ऐसा आदेश विधि विरूद्ध, न्याय व अभिलेख के तथा प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। तहसीलदार को ऐसा प्रार्थनापत्र पेश करने का अधिकार नहीं है, तहसीलदार केवल भूमि अवाप्ति करके ही रास्ता घोषित करवा सकता है। धारा 130, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत खातेदारी भूमि के अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है, धारा 136 में केवल राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि को आगे की जमाबन्दी में की गई त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है, खसरा नम्बर के नक्शें में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और न ही खातेदारी अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि पटवारी हल्का की फर्द मौका दिनांक 6.6.2017 खातेदारान को नोटिस दिये बिना ही कार्यालयमें बैठकर मिलीभगती से तैयार की गई थी, वह साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। सेटलमेन्ट से आज दिन तक मौके पर खेतों में कोई रास्ता न तो अभिलेख में है न मौके पर है। पटवारी हल्का व तहसीलदार ने रेस्पो0 कंवराराम, उदाराम, श्रीमती खेतूदेवी, गंगाराम, उदी, सताराम व लालाराम आदि से मिलकर रास्ता दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया और अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबादी में अपीलाधीन आदेश पारित कर रास्ता खोलने का आदेश दे दिया जिसका उनको कोई

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अधिकार नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2018 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या एक ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार बायतू के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम सियागों की ढाणी उपरोक्त ग्राम सियागों की ढाणी के विभिन्न खसरान 688, 768/690, 677, 674, 712, 779/712, 738/671, 747/713 तथा व ग्राम चुतराणियों की ढाणी (माडपुरा बरवाला) के ख0सं0 573/475, 572/475, 623/469, 622/469, 622, 641/466, 639/466 , 464, 570/464, 463, 472 के रकबा भूमि में से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि बाबत प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वर्णित भूमि में से रास्ता घोषित करने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि पटवारी हल्का के द्वारा उपरोक्त ग्राम सियागों की ढाणी के विभिन्न खसरान 688, 768/690, 677, 674, 712, 779/712, 738/671, 747/713 तथा व ग्राम चुतराणियों की ढाणी (माडपुरा बरवाला) के ख0सं0 573/475, 572/475, 623/469, 622/469, 622, 641/466, 639/466 , 464, 570/464, 463, 472 रकबा भूमि में से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि बाबत प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 130, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिक प्रकिया अपनाते हुए तथा प्रभावित खातेदारान को नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त भूमि में से सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए तथा ग्रामीणों के आवागमन की सुविधा देने के मध्यनजर ही व्यापक जनहित को देखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि केवल मात्र एक खातेदार/ अपीलान्ट के द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश को बिना किसी ठोस आधार के चुनौती देते हुए यह अपील पेश की है, और किसी भी खातेदारान के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की थी, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी अपीलान्टस व अन्य की ओर से अपीलाधीन आदेश को रिव्यू प्रार्थनापत्र पेश करते हुए आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया था। उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र को भी अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकारों की सुनवाई

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

करते हुए रिव्यू प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है, उसके पश्चात अपीलान्ट को यह अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जा सकता है। अपीलान्ट के द्वारा यह अपील पेश करने पर अपीलाधीन आदेश पर स्थगन चाहने हेतु निवेदन किया था परन्तु न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन नहीं दिया गया। अतः अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना में वादग्रस्त खसरान भूमि पर से सार्वजनिक रास्ता निकाला जा चुका है तथा वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से उक्त मार्ग का डामरीकरण भी किया जा रहा है जिससे ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा प्राप्त हो रही है तथा ग्राम का विकास भी हो रहा है, केवल मात्र अपीलान्ट के द्वारा उक्त रास्ते का विरोध किया जा रहा है। अपीलान्ट द्वारा येनकेन प्रकारेण उक्त रास्ते पर अपना हक–अधिकार जताते हुए रास्ते को अवरूद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं द्वारा मौका देखा गया था जिसके पश्चात ही अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार से त्रुटि नहीं की गई जो बहाल रखे जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा यह कहा जाना कि उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है और न ही ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उनको जारी नोटिस संलग्न हो रखा है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

हमने पक्षकारान के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि उपरोक्त ग्राम सियागों की ढाणी उपरोक्त ग्राम सियागों की ढाणी के विभिन्न खसरान 688, 768/690, 677, 674, 712, 779/712, 738/671, 747/713 तथा व ग्राम चुतराणियों की ढाणी (माडपुरा बरवाला) के ख0सं0 573/475, 572/475, 623/469, 622/469, 622, 641/466, 639/466 , 464, 570/464, 463, 472 के रकबा भूमि में से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि बाबत प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वर्णित खसरान की रकबा भूमि में से रास्ता घोषित करने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

सभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट के द्वारा अपील में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई व सूचना का कोई अवसर नहीं दिया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में उनको जारी नोटिस तामील होना दर्शाया है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार बायतू की ओर से उक्त ग्राम के खसरा नम्बरान में मोके पर रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव पेश किये गये जिनके आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.8.2016 की मंशा अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भूमि एवं निजी भूमि में से सार्वजनिक/कदीमी/अस्थाई रूप से चल रहे रास्ते को आमजन के द्वारा उपयोग/उपभोग में लिये जाने को ध्यान में रखते हुए वृहद जनहित में अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है एवं वर्तमान समय में उक्त रास्ता भूमि को राज्य सरकार की ओर से विकसित किया जाना भी रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता के द्वारा ध्यान में लाया गया है। उक्त अपीलाधीन आदेश के द्वारा वादग्रस्त भूमि में से घोषित रास्ता भूमि के सम्बन्ध में केवल मात्र अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई है, अन्य किसी व्यक्ति ने नहीं। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त हमारी विनम्र राय में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बायतू के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2018 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 24 जून, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर